

सहायक प्रजनन तकनीक (वनियमन) वधियक-2020

प्रलिस के लयः

सहायक प्रजनन तकनीक (वनियमन) वधियक-2020, इन वदऱो फरटलाइजेसन, सरोगेसी (वनियमन) वधियक, 2019

मेन्स के लयः

सहायक प्रजनन तकनीक (वनियमन) वधियक-2020 से संबधति चतऱऱैँ

चरचा में क्योँ?

हाल ही में [सहायक प्रजनन तकनीक \(वनियमन\) वधियक-2020](#) [Assisted Reproductive Technology (Regulation) Bill-2020] को लोकसभा में पेश कयऱा गया थऱ।

प्रमुख बदिः

- **सहायक प्रजनन तकनीक (Assisted Reproductive Technology-ART):**
 - सहायक प्रजनन तकनीक का प्रयोग बाँझपन की समस्यऱ के समाधान के लयऱ कयऱा जऱता है। इसमें बाँझपन के ऐसे उपचार शामिल हैं जो महिलाओं के अंडे और पुरुषों के शुक्राणु दोनों का प्रयोग करते हैं।
 - इसमें महिलाओं के शरीर से अंडे प्राप्त कर भ्रूण बनाने के लयऱ शुक्राणु के साथ मलऱया जऱता है। इसके बाद भ्रूण को दोबऱऱा महिला के शरीर में डऱल दयऱा जऱता है।
 - [इन वदऱो फरटलाइजेसन](#) (In Vitro fertilization- IVF), ART का सबसे सामान्य और प्रभावशऱली प्रकार है।
- **‘सहायक प्रजनन तकनीक (वनियमन) वधियक-2020’ का उद्देश्य:**
 - ART बैंकों एवं क्लीनिकों को वनियमति करना।
 - ART के सुरकषति एवं नैतिकि अभ्यऱस की अनुमति देना।
 - महिलाओं एवं बच्चों को शोषण से बचाना।
- **अनुपूरक स्थति (Supplementary Status):**
 - इसे [सरोगेसी \(वनियमन\) वधियक, 2019](#) (Surrogacy (Regulation) Bill (SRB), 2019) के पूरक के रूप में पेश कयऱा गया थऱ, जसिका उद्देश्य भारत में वऱणजयिकि सरोगेसी पर रोक लगाना है।
 - यह वधियक ART के लयऱ सलाहकार नकऱऱों के रूप में कार्य करने हेतु SRB के तहत सरोगेसी बोर्डों को नामति करता है।

चतऱऱैँ:

- **पहुँच में भेदभाव (Discrimination in Accessibility):**
 - यह वधियक एक शऱदीशुदा हेटरोसेक्सुअल जोड़े (Married Heterosexual Couple) और शऱदी की उम्र से अधकऱ की एक महिला को ART का उपयोग करने की अनुमति देता है, जबकऱ एकल पुरुषों, साथ रहने वाले वषिमलैंगकऱ जोड़ों एवं [एलजीबीटीक्यू+ \(LGBTQ+\)](#) वयक्तयऱों या जोड़ों को ART का उपयोग करने से रोकता है।
 - यह वधियक भारतीय संवधऱन के अनुच्छेद 14 और [वर्ष 2017 के पुटऱऱासवऱमी मामले के नजऱता के अधकऱार कषेत्र](#) का उल्लंघन करता हुआ प्रतीत होता है।
 - [नवतेज सहि जौहर बनाम भारत संघ](#) (2018) मामले में रऱज्यों को सलाह दी गई कऱवे समऱन लऱगऱे वाले जोड़ों की समऱन सुरकषऱ के लयऱ सकारऱत्मक कदम उठऱऱैँ।
 - SRB के वपऱरीत ART के तहत वदऱशी नऱगरकऱों पर कोई प्रतबिध नहीं है कऱतु यह सभी भारतीय नऱगरकऱों को वंचति करता है जो एक अतऱरककऱ नषऱकष है, यह भारतीय संवधऱन की मूल भऱवना को प्रतबिबिति करने में वफऱल रहा है।
 - यह वधियक एक बच्चे (कम-से-कम 3 वर्ष का) वऱली ववऱहति महिला के अंडऱ दऱन करने पर प्रतबिधति लगऱता है। हऱलऱँकऱऱिरोपकऱरी कार्य के रूप में अंडऱ दऱन केवल एक बऱर संभव है यदऱऱ महिला ने ववऱह के पतऱसुतऱऱत्मक संसुथऱन के लयऱ अपने कर्तव्यों को पूरा कयऱा हो।

- **दाताओं के लिये नमिन या कोई सुरक्षा नहीं:**
 - यह वधियक अंडा दाता को बहुत कम सुरक्षा प्रदान करता है। अंडों का वधिच्छेदन एक आक्रामक प्रक्रिया है, इसे यदा गलत तरीके से किया जाता है तो इससे मृत्यु भी हो सकती है।
 - इस वधियक में अंडा दाता की लखित सहमति को आवश्यक बताया गया है, कति प्रक्रिया के पहले या प्रक्रिया के दौरान दाता के परामर्श की आवश्यकता या उसके द्वारा दी गई सहमति वापस लेने का अधिकार नहीं दिया गया है।
 - एक महिला को वेतन, समय एवं प्रयास को लेकर हुए नुकसान के लिये कोई कषतपूर्ति नहीं मिलती है।
 - शारीरिक सेवाओं के लिये भुगतान करने में नाकाम होना गैर-स्वतंत्र श्रमिक की स्थिति उत्पन्न करता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 द्वारा नषिदिध घोषित किया गया है।
 - कमीशनगि दलों को केवल चकितिसा की जटलिताओं या मृत्यु के लिये उसके नाम पर एक बीमा पॉलिसी प्राप्त करने की आवश्यकता के बारे में बताया गया है जिसमें कोई राशिया समयसीमा नरिदषिट नहीं है।
- **अस्पष्टता (Ambiguity):**
 - इस वधियक में प्री-इम्प्लांटेशन जेनेटिक (Pre-implantation Genetic) परीक्षण की आवश्यकता बताई गई है और जहाँ भ्रूण पूर्व-वदियमान, पैतृक, आनुवंशिक रोगों से ग्रस्त होता है, उसे कमीशनगि दलों की अनुमति से अनुसंधान के लिये दान किया जा सकता है।
 - इन वकियों को नरिदषिट नहीं किया गया है और यह बलि जोखमि वाले **यूजेनक्स** (Eugenics) के एक अभेद्य कार्यक्रम को बढ़ावा देता है।
 - यूजेनक्स वशिषिट वांछनीय वंशानुगत लक्षणों वाले लोगों का चयन करके मानव प्रजातियों में सुधार करने का अभ्यास है।
- **सूचना का अपरकटीकरण:**
 - ART से पैदा हुए बच्चों को अपने माता-पिता को जानने का अधिकार नहीं है, जो उनके सर्वोत्तम हितों के लिये महत्वपूर्ण है।
- **ART और SRB के मध्य असंतुलन:**
 - यद्यपि यह बलि और SRB क्रमशः ARTs एवं सरोगेसी को वनियमि करतें हैं, इससे दोनों कषेत्रों के बीच काफी दुहराव उत्पन्न होता है।
 - कोर ART प्रक्रियाओं को अपरभाषित छोड़ दिया जाता है और उनमें से कुछ को एसआरबी में परभाषित किया जाता है कति इस बलि में इसे परभाषित नहीं किया गया है।
 - दोनों वधियकों के तहत एक ही नषिधात्मक व्यवहार के लिये अलग-अलग दंड का प्रावधान किया गया है और कभी-कभी SRB के तहत अधिक दंड का भी प्रावधान है।
 - इस वधियक के तहत अपराध, जमानती हैं कति SRB के तहत नहीं।
 - इस वधियक के तहत रकिॉर्ड को 10 वर्ष तक बनाए रखा जाना चाहिये कति SRB के तहत इसकी अवधि 25 वर्ष नरिधारित की गई है।
- **दुहराव की स्थिति:**
 - दोनों वधियकों ने पंजीकरण के लिये कई नकियों की स्थापना की जिसके परिणामस्वरूप दुहराव बढ़ेगा और वनियमन की कमी होगी।
- **युग्मकों की कमी (Gamete Shortage):**
 - युग्मकों (Gamete) की कमी होने की संभावना है क्योंकि इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है कि क्या युग्मकों को अब ज्ञात मतिरों एवं रशितेदारों को उपहार में दिया जा सकता है जिसके बारे में पहले अनुमति नहीं थी।
 - युग्मक एक जीव की प्रजनन कोशिकाएँ हैं। इन्हें सेक्स कोशिकाओं के रूप में भी जाना जाता है। महिला युग्मकों को ओवा (Ova) या अंडा कोशिकाएँ कहा जाता है और पुरुष युग्मकों को शुक्राणु कहा जाता है।
- **सज़ा में वृद्धि:**
 - इस वधियक और SRB के तहत 8-12 वर्ष की सज़ा एवं भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
- **ग्रभधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व नदिन तकनीक (लगि चयन परतषिध) अधनियम, 1994** के खराब प्रवर्तन से पता चलता है कि सज़ा में की गई वृद्धि इसके अनुपालन को सुरक्षित नहीं करती है।

आगे की राह:

- क्लीनिकों में नैतिकता समितियों होनी चाहिये और अनविर्य परामर्श सेवाएँ उनसे स्वतंत्र होनी चाहिये।
- 'वधियक के पूर्व संस्करणों में भ्रूण का उपयोग करके अनुसंधान को वनियमि किये जाने का प्रावधान था' जिसे पुनः वापस लाया जाना चाहिये। साथ ही इस वधियक और SRB के मध्य 'युगल', 'बांझपन', 'ART क्लीनिक' एवं 'बैंकों' की परभाषाओं को लेकर आपस में तालमेल होना ज़रूरी है।
- सभी ART नकियों को राष्ट्रीय हति में केंद्र एवं राज्य सरकारों के दशा-नरिदेशों से तथा वदिशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता एवं नैतिकता से संलग्न होना चाहिये।
- इस वधियक से संबंधित लाखों लोगों को प्रभावित करने वाली सभी संवैधानिक, चकितिसीय-कानून, नैतिक एवं नयामक चिताओं के बारे में पहले अच्छी तरह से समीक्षा की जानी चाहिये।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस